प्रेस विज्ञप्ति

26.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल) और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), तीस हजारी, दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें **25** व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था। माननीय विशेष न्यायालय ने **25.09.2024** को पीसी का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं को नोटिस जारी किए।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, चंडीगढ़ द्वारा मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड (एसओएल), इसके पूर्व निदेशकों रोहित अग्रवाल, माणिक अग्रवाल, सुमित अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी, आपराधिक गबन, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और 9 ऋणदाता बैंकों के संघ को 950 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि जहां मेसर्स एसओएल के खिलाफ कुल स्वीकृत दावे **1274.14** करोड़ रुपये थे, वहीं इकाई को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) कार्यवाही के माध्यम से केवल **196** करोड़ रुपये में एक समाधान आवेदक मेसर्स उमैजा इंफ्राकॉन एलएलपी (अजय यादव के माध्यम से) द्वारा ले लिया गया, जो एक मुखौटा इकाई थी, जिसके पास अपना कोई फंड नहीं था।

जांच के दौरान, ईडी ने जनवरी 2024 में पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी ली और जुलाई 2024 में राकेश गुलाटी, परमजीत और अजय यादव नामक तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जो एनसीएलटी से दिवालिया कंपनी का वास्तविक नियंत्रण और व्यवसाय वापस पाने के लिए ऋण राशि के षड्यंत्र और उक्त डायवर्जन में शामिल पाए गए। ईडी ने 26.08.2024 को सोनीपत, अमृतसर और गुरुग्राम में 72 एकड़ भूमि और भवन (कृषि भूमि सहित), दिल्ली के सिविल लाइंस में 5000 वर्ग मीटर से अधिक के 02 आवासीय घर, करनाल में 04 फ्लैट और साथ ही बैंक बैलेंस/एफडीआर के रूप में 294.19 करोड़ रुपये की संपत्ति भी अनंतिम रूप से कुर्क की।

अभियोजन पक्ष की शिकायत में, ईडी ने कॉरपोरेट पर्दा उठाया है जिसके द्वारा आरोपी व्यक्तियों ने एनसीएलटी कार्यवाही के दौरान इसको अपने नियंत्रण में लेने के लिए अपने ही फंड को डायवर्ट किया। ईडी ने साबित कर दिया है कि किस प्रकार आरोपी कंपनी से धनराशि निकालकर उसे एक डमी कंपनी के माध्यम से अधिग्रहित किया गया, तथा उसे स्वतंत्र कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा एनसीएलटी की कार्यवाही में उसे सफल समाधान आवेदक (एसआरए) बनाया गया। आरोपी कंपनी ने कर्मचारियों / सीए और अन्य व्यक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंध के माध्यम से भारत के बाहर और साथ ही अन्य पारिवारिक व्यवसायों में भी सार्वजनिक धन को डायवर्ट किया। अब तक 25 व्यक्तियों / संस्थाओं की पहचान की गई है और उन्हें मामले में आरोपी बनाया गया है।

आगे की जांच जारी है।